

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



जयपुर, दिनांक 16 NOV 2017

क्रमांक एफ 10(9)ग्रावि/नरेगा/स.कार्य.अधि./2010 पार्ट-1/63776

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
समस्त, राजस्थान ।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यह जानकारी में आया है कि कुछ पंचायत समितियों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नव नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है, वह उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कनिष्ठ लिपिकों को सहायक कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जावे।

भवदीय

(शाहीन अली खान)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी, ईजीएस